ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 63-64**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

महिला सशक्तिकरण एवं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

डॉ0 सुचिता कुमारी

ग्राम + पो0 – माधोपुर, थाना – बख्तियारपुर, पटना (बिहार) भारत

Received-10.08.2025, Revised-18.08.2025, Accepted-24.08.2025 **E-mail : aaryvart2013@gmail.com**

सारांशः ***सशक्तिकरण को जागरूकता निर्माण और वृहद स्तर पर सहभागिता में क्षमता विकास की एक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें निर्णय निर्माण शक्ति में हिस्सेदारी के साथ ही उसके नियंत्रण और परिवर्तन की प्रक्रिया में भी हिस्सेदारी देना सम्मिलित है। इस तरह महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिलक्षित होती है, जो कई विरोधाभाषी अन्तर्सम्बन्धों और सामान्य अनुभव तत्वों से अभिभूत हुई है।[1] सशक्तिकरण का अर्थ मुख्य रूप से उसकी जड़ों में ही सम्मिलित है, जिसका तात्पर्य 'शक्ति और सत्ता' को देना है। वास्तव में सशक्तिकरण एक संकेत है, शक्ति को देने और उत्थान की तथा सभी को समान अवसर देने की।[2] संतुलित, अर्थपूर्ण, सामाजिक–आर्थिक, राजनैतिक संरचना एवं विकास में जन आबादी के आधे भाग की सक्रिय सहभागिता की उपेक्षा नहीं बल्कि उसे सुनिश्चित करना ही सशक्तिकरण का लक्ष्य है। आंद्रे विताई (1993)[3] सशक्तिकरण को सामाजिक रूपान्तर के एक तत्व के रूप में अति महत्वपूर्ण क्रिया मानते हैं और उसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सशक्तिकरण एक संस्तरण की प्रक्रिया है, जो कि सत्ता प्रतिष्ठानों में पदक्रम में विभाजित करने पर जोर देता है तथा उसमें महिलाओं की समानता पर जोर देकर एक आधारभूत समाज की रचना पर जोर देता है। रोनाल्ड[4] यह मत देते हैं कि सशक्तिकरण एक जमीनी स्तर की प्रक्रिया है जो सर्वोत्तम तरीके से उत्थान करती है। महिला सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जागरूकता पैदा करने की और सहभागिता, निर्णय प्रक्रिया में शक्ति और निर्णय की क्षमता में विकास करने की। दीपा जैन (2007)[5] ने अपने अध्ययन महिला सशक्तिकरण के व्यवहारिक उपाय में व्यक्त किया कि वर्तमान में महिलाओं के अधिकारों के प्रति विशेष संचेतना, सम्मान, संरक्षा एवं संवेदनशीलता को जाग्रत करने की महती आवश्यकता है।***

कुंजीभूत शब्द– **महिला सशक्तिकरण, जागरूकता निर्माण, सहभागिता, क्षमता विकास, संचेतना, सम्मान, संरक्षा, संवेदनशीलता।**

1995 के बीजिंग विश्व महिला सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण की बात को बहुत ही यथार्थ और व्यापक रूप में व्याख्यायित किया। इस नीति के लक्ष्य थे :

1. नैतियों के निर्माण और निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाना।
2. महिलाओं की आय की उत्पत्ति करने वाली क्रियाओं की प्रभावशाली ढंग से सक्रिया करना।
3. शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण के लाभों को प्रदान करना।

महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु किये गये प्रयास –

1. प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग एवं उत्तर प्रदेश महिला आयोग का गठन किया गया है।
2. राजकीय सेवाओं में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
3. शिक्षामित्रों के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं।
4. स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना में 40 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
5. बी. टी. सी. कोर्सो में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिये किया गया है।
6. शिक्षण संस्थानों में नामांकन के समय पिता के नाम के साथ माँ का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करने की व्यवस्था लागू की गयी है।
7. मिड–डे मिल योजना के तहत खाना पकाने का कार्य केवल महिला कर्मी को ही दिया जाता है।
8. महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उन्हें संगठित कर उनकी क्षमता का विकास कर आय सृजन के कार्यक्रमों से जोड़ने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है।
9. महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए "स्वास्थ्य बीमा योजना" संचालित की गयी है।
10. महिलाओं के कौशलों में सुधार हेतु लघु उद्योग विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग आदि द्वारा "उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम" संचालित किये जा रहे हैं।
11. इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास महिलाओं के नाम ही आवंटित किये जाने को प्राथमिकता दी गयी है।
12. बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्धेश्य से "कन्या विद्या धन" योजना प्रारम्भ की गयी है।
13. लड़कियों को स्कूल भेजने हेतु प्रेरित करने के लिए "स्कूल चलों अभियान" चलाया गया है, आदि।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना – देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने तथा निर्धारित समय में गरीबी उन्मूलन की लक्ष्य प्राप्ति के लिये पहली अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में पहले से स्वरोजगार तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों की चल रही कतिपय योजनाओं को समन्वित किया गया है। समन्वित किये जाने वाले योजनाओं में समेकित ग्रामीण कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिये ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण दस्तकरों को उन्नत औजारों की किट आपूर्ति कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना तथा दस लाख कुंआ योजना है। अब ये कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं।[6] इन कार्यक्रमों को मिलकर कार्यन्वित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वरोजगार का अकेला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लागू करते समय यह ध्यान रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से चल रही विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में जिन व्यावहारिक कठिनइयों का अनुभव किया जाता रहा है, उन कठिनाइयों का निराकरण करते हुये समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये, जिससे इस योजना की सफलता में किसी प्रकार की बाधा न हो। इस योजना के क्रियान्वयन का दायित्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को दिया गया है। अभिकरण को योजना बनाने, उनके क्रियान्वयन और अनुश्रवण की प्रक्रिया में बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं, त्रिस्तरीय पंचायतों, गैर सरकारी संगठनों तथा जिला के तकनीकी संस्थाओं

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-III, Issues-37, YEAR- July-Sept. 2025

के सहयोग से अपने दायित्व का निर्वहन करना है। योजना में दी जानेवाली धन राशि केन्द्र और राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में प्रदान करती है।

इस योजना का उद्धेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को स्वरोजगार के माध्यम से आय में वृद्धि करना है, जिससे तीन वर्षों में वे गरीबी की रेखा के उपर आ सकें। इसके लिये उनकी भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में सूक्ष्म–उद्यमों की स्थापना की जायेगी। इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को लाभार्थी नहीं, बल्कि स्वरोजगार कहा जायेग। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे–छोटे असंख्य उत्पादन केन्द्र का स्थापना कर व्यक्तिगत तथा समूह बनाकर सामूहिक रोजगार उपलब्ध कराना है। समूह बनाकर रोजगार उपलब्ध कराने से अधिक पूंजी वाले उद्यमों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगाना संभव हो सकेगा। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बेहतर बनाने हेतु लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता देने का भी प्रावधान किया गया है।

यह कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया गया है कि गांवों में रहनेवाले गरीबों को उनकी प्रतिभा और क्षमताओं के उपयोग में मदद व प्रोत्साहन दिया जा सके। कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 40 प्रतिशत महिला और 3 प्रतिशत विकलांग को इस योजना में शामिल किये जाने का लक्ष्य है। छोटे उद्यमों पर आधारित इस कार्यक्रम में ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर समूहों में संगठित करने तथा उनकी क्षमता का निर्माण, गतिविधियों की योजना, बुनियादी ढांचे का निर्माण, प्रौद्योगिकी, ऋण और विपणन जैसे स्वरोजगार के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें संसाधनों, व्यावसायिक प्रतिभाओं और बाजार की उपलब्धता के आधार पर गतिविधि समूहों पर जोर दिया गया है। प्रखंड स्तर पर प्रमुख गतिविधियों का चयन पंचायत समितियों द्वारा किया जायेगा, जबकि जिला स्तर पर इस चयन की जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास ऐजन्सी/जिला परिषद् की होगी। गतिविधियां उचित समूहों में शुरू की जायेगी, ताकि उपयुक्त सुविधाओं का विस्तार हो सकें। योजना की सहायता का प्रमुख भाग गतिविधि के समूहों में होगा। प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के लिये योजना में परियोजना का दृष्टिकोण अपनाया जायेगा। इसके लिये गरीबों के आत्मनिर्भर समूह का गठन किया जायेगा। साथ ही उनकी क्षमता में वृद्धि के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। ऐसे प्रत्येक समूह में महिला सदस्यों को शामिल करने का प्रयास किया जायेगा। समूह गतिविधि को प्राथमिकता दी जायेगी और आत्मनिर्भर समूहों के लिये उत्तरोतर अधिक धन की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम आधा समूह पूर्णतया महिलाओं की होगी। गरीबी रेखा के नीचे की जनगणना में पहचाने गये परिवारों की सूची को ग्राम सभा अधिकृत करेगी। अलग–अलग स्वरोजगारियों का चयन भागीदारी प्रक्रिया के आधार पर किया जायेगा। वास्तव में, यह योजना एक ऋण एवं अनुदान कार्यक्रम है। ऋण प्रमुख तथा अनुदान समर्थकारी तत्व होगा। यही वजह है कि योजना के तहत परियोजनाओं के नियोजन व तैयारी गतिविधि, समूहों के चयन, क्षमता निर्माण और आत्मनिर्भर समूहों के चयन के साथ–साथ बुनियादी ढ़ाचे के नियोजन, स्वरोजगारियों का चयन, ऋण पूर्व गतिविधियों तथा ऋण वसूली समेंत ऋणोत्तर निगरानी का प्रावधान है। बैंक की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित किया गया है। इसमें एक मुश्त ऋण के बजाय विविध ऋण को बढ़ावा दिये जाने पर बल दिया गया है। स्वरोजगारियों की ऋण संबंधी जरूरतों का आकलन सावधानी पूर्वक किया जायेगा तथा उन्हें आनेवाले वर्षों में अधिक ऋण लेने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि परियोजना लागत का 30 प्रतिशत एक समान दर पर होगी, किंतु इसकी अधिकतम सीमा 7500 रूपया ही होगी। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये अनुदान राशि 50 प्रतिशत तथा अधिकतम दस हजार रूपया होगी। आत्म निर्भर समूहों के लिये अनुदान राशि परियोजना लागत का 50 प्रतिशत किंतु अधिकतम 1.25 लाख रूपये होगी। सिंचाई परियोजनाओं के लिये अधिकतम अनुदान राशि की सीमा नहीं होगी। इस योजना में प्रतिभा विकास पर विशेष बल दिया गया है। स्वरोजगारियों की प्रौद्योगिकी और विपणन संबंधी जरूरतों पर इस योजना में अधिक ध्यान दिया जायेगा। स्वरोजगारियों द्वारा निर्मित माल की बिक्री को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस योजना के तहत गठित होनेवाले स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 20 होगी। सिंचाई परियोजनाओं एवं विकलांग व्यक्तियों के स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम सदस्यों की संख्या पांच भी हो सकती है।[7]

योजना की शुरूआत से अबतक 36.78 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसमें से 24.09 लाख ग्रेड एक तथा 11.24 लाख ग्रेड टू है, जबकि 8.36 लाख ने आर्थिक गतिविधियों में भाग लिया। वर्ष 2009–10 के दौरान दिसम्बर 2009 तक 11. 65 लाख स्वरोजगारियों को रोजगार दिया गया, जिसमें 7.85 लाख महिलायें हैं।[8]

सदर्न्भ ग्रन्थ सूची

1. Elvin, Husta, (2004) : Women's policical representation and Emposment, in India – A million Indian now, Manohar publication, New Delhi.
2. Giri, S. Mohani (2000) : Emensipation and Emopowerment of women, Gyan publishing House Delhi.
3. Beteiue Andre (1999) : Empowerment Economic and political weekly 34, pp – 589 – 597.
4 Row Lands, J (1995) : Empowerment examined, Development in procticeses, Oxford University press, New York.
5 दीपा जैन (2007) : "महिला सशक्तिकरण के व्यवहारिक उपाय" उद्धत महिला सुरक्षा एवं महिला–पुरूष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
6 भारत 2000, पृ0 477–78.
7. डॉ0 अग्रवाल उमेश चन्द्र (2010) : "स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना," कुरूक्षेत्र फरवरी, पृ0–06.
8. भारत 2011, पृ0 847–48.

*****